भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

रिपोर्ट सं. 251

"अप्रचलित विधियां : तत्काल निरसन की आवश्यकता"
(चौथी अंतरिम रिपोर्ट)

नवंबर, 2014

न्यायमूर्ति अजित प्रकाश शहा
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
अध्यक्ष
भारत का विधि आयोग
भारत सरकार
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
दूरभाा : 23736758 फैक्स : 23355741

Justice Ajit Prakash Shah
Former Chief Justice of Delhi High Court
Chairman
Law Commission of India
Government of India
Hindustan Times House
K.G. Marg, New Delhi-110 001
Telephone : 23736758, Fax : 23355741

अ.शा. सं. 6(3)211/2011-एल.सी.(एल.एस.) तारीख : 14 नवंबर, 2014

प्रिय श्री सदानन्द गौड़ा जी,

19वें विधि आयोग द्वारा अप्रचलित विधियों की पहचान करने की पहल को जारी रखते हुए और तत्कालीन विधि और न्याय मंत्री, श्री रवि शंकर प्रसाद से प्राप्त निर्देश को ध्यान में रखते हुए, भारत के विधि आयोग ने **"विधिक अधिनियमितियां : साधारणीकरण और सरलीकरण"** शीर्षक वाली परियोजना का कार्य आरंभ किया । इस अध्ययन के भाग के रूप में 12 सितंबर, 2014 और 13 अक्तूबर, 2014 और 29 अक्तूबर, 2014 को अप्रचलित विधियों पर तीन अंतरिम रिपोर्टें (रिपोर्ट सं. 248, 249 और 250) प्रस्तुत की गईं । अब आयोग ने पूर्व निरसन के लिए 30 और विधियों की पहचान कर ली है और **"अप्रचलित विधियां : तत्काल निरसन की आवश्यकता" – चौथी अंतरिम रिपोर्ट** शीर्षक से रिपोर्ट सं. 251 के रूप में एकत्रित किया है और यह सरकार के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है । यहां यह उल्लेख करना श्रेयस्कर है कि इस रिपोर्ट के साथ आयोग ने अपनी चार अंतरिम रिपोर्टों के माध्यम से आज की तारीख तक कुल 288 प्राचीन विधियों के निरसन की सिफारिश की है ।

सादर,

भवदीय
ह0/-
(अजित प्रकाश शहा)

श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा,
माननीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली - 110 001

निवास : 1, जनपथ, नई दिल्ली - 110001

"अप्रचलित विधियां : तत्काल निरसन की आवश्यकता"
(चौथी अंतरिम रिपोर्ट)

वि-नय-सूची

क्र. सं.	शी-र्क	पृ-ठ
1.	प्रस्तावना	4
2.	पूर्ण निरसन के लिए सिफारिश की गई विधियां	6

अध्याय 1
प्रस्तावना

1.1 यह रिपोर्ट विधि आयोग द्वारा "विधिक अनियमितियां : साधारणीकरण और सरलीकरण" शी-र्ाक से विधि आयोग द्वारा आरंभ किए गए अध्ययन की चौथी किश्त है । इस रिपोर्ट के लिए 54 और विधियों का अध्ययन किया गया और इनमें से 30 विधियों के पूर्ण निरसन की सिफारिश की गई है ।

1.2 सरकार को प्रस्तुत तीन अंतरिम रिपोर्टों के माध्यम से, भारत के विधि आयोग ने 258 प्राचीन विधियों के निरसन की सिफारिश की । जहां रिपोर्ट सं. 248 "अप्रचलित विधियां : तत्काल निरसन की आवश्यकता" - अंतरिम रिपोर्ट में अप्रचलित हो गए 72 विधियों की पहचान की गई और तत्काल निरसन की सिफारिश की गई, वहीं इस अध्ययन की दूसरी किश्त जो रिपोर्ट सं. 249 है, पूर्ण निरसन के लिए 88 विधियों और आंशिक निरसन के लिए 25 विधियों की सिफारिश की गई । तीसरी अंतरिम रिपोर्ट अर्थात् रिपोर्ट सं 250 में, आयोग ने पूर्ण निरसन के लिए 73 और विधियों की पहचान की ।

1.3 हाल ही में, सेन्टर फार सिविल सोसाइटी ने "100 विधियों के निरसन की परियोजना" शी-र्ाक के अंतर्गत परियोजना रिपोर्ट तैयार की । आयोग ने स्वप्रेरणा से परियोजना रिपोर्ट का परिशीलन और विमर्शित विधियों का अध्ययन करने का विनिश्चय किया जिन्हें पूर्ववर्ती पैराग्राफों में वर्णित अपनी तीन अंतरिम रिपोर्टों में पहले ही सम्मिलित नहीं किया गया है और यह पता चला कि ऐसी 54 विधियों पर विचार करने की आवश्यकता है । इनका विश्ले-ण किया गया और इन 54 विधियों में से आयोग ने 30 विधियों को निरसन के लिए उपयुक्त पाया ।

1.4 अतः, इस रिपोर्ट के अध्याय 2 में पूर्ण निरसन के लिए सिफारिश की गई 30 विधियों का अध्ययन किया गया और प्रत्येक के संबंध में टिप्पण और सिफारिशें की गईं। यह ध्यातव्य है कि इन विधियों को निरसित करने की सिफारिश करते समय, संविधान के अनुच्छेद 372(1) के अनुसार विधि को निरसित करने हेतु सक्षम विधानमंडल को भी

सुनिश्चित स्थिर किया जाना चाहिए । जैसाकि 248वीं रिपोर्ट के अध्याय 4 में यह स्प-ट किया गया है कि संविधान पूर्व विधियां चाहे वे केंद्र द्वारा ही पारित की गई हों केंद्र द्वारा तभी निरसित किया जा सकता है यदि विधि की वि-नय-वस्तु अब संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 या 3 के भीतर आती हो । जहां विधि सूची 2 के अधिकार क्षेत्र के भीतर आती है वहां इसे निरसन के लिए सुसंगत राज्य सरकारों को निर्दि-ट किया जाना चाहिए । तदनुसार, निरसन के लिए अध्ययन की जाने वाली प्रत्येक विधि के अंतर्गत सक्षम विधानमंडल को उपदर्शित किया गया है ।

1.5 आयोग इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर, सदस्य, विधि आयोग, प्रो. मूल चन्द्र शर्मा, सदस्य विधि आयोग, प्रो. योगेश त्यागी, सदस्य (अंशकालिक) विधि आयोग, श्री अर्घ्य सेन गुप्ता और सुश्री श्रीजोनी सेन, विधिक नीति के विधि केंद्र के अधिवक्ता और दो नवयुवक अनुसंधानकर्ता सुश्री रित्विका शर्मा और श्री समीर रोहतगी से मिलकर बनी उप समिति द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकार करता है ।

अध्याय 2

पूर्ण निरसन के लिए सिफारिश की गई विधियां

इस अध्याय में ऐसे 30 कानूनों की सूची है जिनको सिफारिश और टिप्पण के साथ पूर्ण रूप से निरसित किए जाने की आवश्यकता है ।

1. साप्ताहिक अवकाश अधिनियम, 1942 का अधिनियम 18

प्रवर्ग : श्रम विधियां

सिफारिश : तथ्यात्मक सत्यापन के अधीन रहते हुए निरसन

अधिनियम दुकानों, रेस्तरों और थिएटर में नियोजित व्यक्तियों के लिए साप्ताहिक अवकाश मंजूर करने का उपबंध करता है । अधिनियम की धारा 14 में यह अधिदेश है कि किसी दुकान, रेस्तरां और थिएटर के प्रबंध पद पर नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को पूरे एक दिन का अवकाश अनुज्ञात किया जाएगा । इस अधिनियम के प्रयोजन को प्रत्येक राज्य के दुकान और स्थापन अधिनियम द्वारा समावि-ट किया गया है । अतः, इस तथ्यात्मक सत्यापन के अधीन रहते हुए कि प्रत्येक राज्य में दुकान और स्थापन अधिनियम है, इस अधिनियम को निरसित किया जा सकता है ।

2. इम्पीरियल पुस्तकालय (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1948 का अधिनयम 51

प्रवर्ग : रा-ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व के संस्थान

सिफारिश : निरसन

इस अधिनियम का अधिनियमन इंपीरियल पुस्तकालय का नाम परिवर्तित कर रा-ट्रीय पुस्तकालय रखने के लिए किया गया था । इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अतः, यह अधिनियम स्प-टतः अप्रचलित है और इसे निरसित किया जा सकता है ।

3. विस्थापित व्यक्ति का पुनर्स्थापन (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948 का अधिनियम 60

प्रवर्ग : भूमि विधियां

सिफारिश : निरसन

अधिनियम विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन के लिए भूमि के शीघ्र अर्जन का उपबंध करता है । अधिनियम द्वारा 'विस्थापित व्यक्ति' को ऐसे किसी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन के गठन के कारण या ऐसे सिविल विद्रोह के कारण जो विभाजन के कारण हुआ और 1 मार्च, 1947 के पश्चात् विस्थापित हुए थे या अपना निवास-स्थान छोड़ चुके थे । इस अधिनियम का अधिनियमन स्पष्टतः ऐसी स्थिति का प्रबंध करने के लिए किया गया था जो भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप पैदा हुई थी । इस अधिनियम का प्रयोजन अब पूरा हो चुका है और इसे निरसित किया जा सकता है । निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

4. ओषधि (नियंत्रण) अधिनियम, 1950 का अधिनियम 26

प्रवर्ग : सार्वजनिक स्वास्थ्य

सिफारिश : निरसन

अधिनियम ओषधि के विक्रय, आपूर्ति और वितरण के नियंत्रण का उपबंध करता है । इसका अधिनियमन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि कतिपय आवश्यक आयातित ओषधि और दवाओं को युक्तियुक्त कीमत पर बेंची जाएं । ओषधि को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन सम्मिलित किया गया है । इस अधिनियम के प्रयोजन को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 द्वारा समाविष्ट किया गया है । अतः, इस अधिनियम को निरसित किया जाए । ओषधि (नियंत्रण) अधिनियम, 1950 को निरसित करने के लिए 2006 में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था किंतु यह व्यपगत हो गया । चूंकि वर्ष 2006 से परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः, सरकार को इस अधिनियम को निरसित करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करना चाहिए ।

5. टेलीग्राफ तार (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1950 का अधिनियम 74

प्रवर्ग : मीडिया, संसूचना और प्रकाशन

सिफारिश : निरसन के लिए विचार करें

अधिनियम टेलीग्राफ तार के कब्जे को विनियमित करता है और टेलीग्राफ तार के विधि विरुद्ध कब्जे के अपराध के लिए दंड का उपबंध करता है । टेलीग्राफ सेवाओं को व-र्ा 2013 में भारत में स्थायी रूप से बंद कर दिया गया । विनिर्दि-ट चौड़ाई के तार इस अधिनियम के भीतर सम्मिलित हैं । अतः, इस तथ्यात्मक सत्यापन के पश्चात् ही कि ऐसे तारों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है, इस अधिनियम को निरसित करने हेतु विचार किया जाए ।

6. पुरस्कार प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 1955 का अधिनियम 42

प्रवर्ग : व्यापार और वाणिज्य

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम ऐसे पुरस्कार प्रतिस्पर्धाओं के नियंत्रण और विनियमन का उपबंध करता है "जिसमें पुरस्कार अक्षरों, शब्दों और अंकों के विनिर्माण, व्यवस्थीकरण, संयोजन या क्रम परिवर्तन पर आधारित किसी पहेली के समाधान के लिए प्रस्तावित किए जाते हैं" और जिसमें किसी कौशल का उपयोग अंतवर्लित नहीं है । यह व्यापकतः बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यों और सभी भाग ग राज्यों में द्यूत और पणक्रिया वाली प्रतिस्पर्धाओं को लागू होता है । तथापि, इन सभी राज्यों के पास द्यूत और पणक्रिया को विनियमित करने के अपने निजी विधान हैं । इस अधिनियम का अब उपयोग नहीं रह गया है और राज्य-विनिर्दि-ट विधियों में इसका प्रयोजन समावि-ट हो गया है । अतः, इस अधिनियम को निरसित किया जा सकता है ।

7. सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा-विस्तार) अधिनियम, 1959 का अधिनियम 29

प्रवर्ग : पूर्त और धार्मिक संस्थाएं : सहकारी सोसाइटी

सिफारिश : निरसन

अधिनियम सार्वजनिक वक्फ का भाग गठित करने वाली स्थावर संपत्ति का कब्जा वापस लेने के वाद के कतिपय मामलों में परिसीमा की अवधि को विस्तारित करता है । कब्जा वापस लेने के वाद हेतु परिसीमा की अवधि को 31 दिसंबर,

1985 तक बढ़ाया गया था । अधिनियम ने स्प-टतः अपना प्रयोजन पूरा कर लिया और इसे निरसित किया जाए ।

8. चीनी (उत्पादन का विनियमन) अधिनियम, 1961 का अधिनियम 55

प्रवर्ग : खाद्य और सार्वजनिक वितरण

सिफारिश : निरसन

अधिनियम सरकार को ऐसी चीनी की मात्रा नियत करने का आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है जो व-र्ा में किसी कारखाने में उत्पादित की जा सकेगी । यदि उत्पादित चीनी की मात्रा नियत कोटा से अधिक होती है तो अधिनियम के अधीन अधिक राशि पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू होगा । गैस-विनियमन की प्रक्रिया आरंभ होने के पहले से ही पिछले कुछ दशकों से अधिनियम का उपयोग नहीं हो रहा है बल्कि चीनी उद्योग का विनियमन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन आदेशों के माध्यम से किया जाता है । इस अधिनियम के अधीन वर्तमान में कोई नियम या आदेश प्रवर्तित नहीं है । इसके वर्तमान उपयोग के सत्यापन के अधीन रहते हुए इस अधिनियम को निरसित किया जा सकता है ।

9. भारतीय कापर निगम (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1972 का अधिनियम 58

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसिन के लिए विचार करें

भारतीय व्यापार निगम को इस अधिनियम के द्वारा रा-ट्रीयकृत किया गया और हिंदुस्तान कापर में विलीन किया गया । अधिनियम उपक्रम के कंपनी को अंतरण पर संदेय रकम, विद्यमान कर्मचारियों की सेवा के अंतरण, आदि जैसे उससे संबद्ध वि-नयों सहित भारतीय कापर निगम के रा-ट्रीयकरण का उपबंध करता है । जहां तक संबद्ध एकक के रा-ट्रीयकरण का संबंध था इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अधिनियम में रा-ट्रीयकृत एकक के प्रबंधन का उपबंध नहीं है । अतः, यह अधिनियम रा-ट्रीयकृत एकक की बावत कोई सतत् प्रयोजन पूरा नहीं करता । पर्याप्त सतर्कता के रूप में, इन अधिनियमों को निरसित करने हेतु विचार करने की दृ-टि से

सभी रा-ट्रीयकृत अधिनियमों का अध्ययन किया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो, निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

10. रिचर्डसन और क्रूडास लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1972 का अधिनियम 78

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन के लिए विचार करें

यह अधिनियम रिचर्डसन क्रूडास और कंपनी की सभी आस्तियों, अधिकारों, शक्तियों और संपत्तियों को केंद्रीय सरकार को अंतरित करता है । अधिनियम उपक्रम के कंपनी को अंतरण पर संदेय रकम, विद्यमान कर्मचारियों की सेवा के अंतरण कंपनी के शेयरों से संबंधित दोनों के न्यायनिर्णयन आदि जैसे उससे संबद्ध वि-नयों सहित रिचर्डसन और क्रूडास के रा-ट्रीयकरण का उपबंध करता है । जहां तक संबद्ध एकक के रा-ट्रीयकरण का संबंध था इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अधिनियम में रा-ट्रीयकृत एकक के प्रबंधन का उपबंध नहीं है । अतः, यह अधिनियम रा-ट्रीयकृत एकक की बावत कोई सतत् प्रयोजन पूरा नहीं करता । पर्याप्त सतर्कता के रूप में, इन अधिनियमों को निरसित करने हेतु विचार करने की दृ-टि से सभी रा-ट्रीयकृत अधिनियमों का अध्ययन किया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो, निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

11. इस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1974 का अधिनियम 4

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन के लिए विचार करें

अधिनियम केंद्रीय सरकार द्वारा इस्सो ईस्टर्न इंक के भारतीय उपक्रम के सभी अधिकारों, हकों और हितों के अर्जन का उपबंध करता है । इस्सो भारतीय उपक्रम और ल्यूब इंडिया नामक एक अन्य कंपनी को वर्-ा 1974 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) बनाने के लिए विलीन किया गया । अधिनियम उपक्रम के कंपनी को अंतरण पर संदेय

रकम, विद्यमान कर्मचारियों की सेवा के अंतरण, आदि जैसे उससे संबद्ध वि-नयों सहित इस्सो उद्योग के रा-ट्रीयकरण का उपबंध करता है । जहां तक संबद्ध एकक के रा-ट्रीयकरण का संबंध था इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अधिनियम में रा-ट्रीयकृत एकक के प्रबंधन का उपबंध नहीं है । अतः, यह अधिनियम रा-ट्रीयकृत एकक की बावत कोई सतत् प्रयोजन पूरा नहीं करता । पर्याप्त सतर्कता के रूप में, इन अधिनियमों को निरसित करने हेतु विचार करने की दृ-टि से सभी रा-ट्रीयकृत अधिनियमों का अध्ययन किया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो, निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

12. भारतीय लौह और इस्पात कंपनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1976 का अधिनियम 89

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन के लिए विचार करें

यह अधिनियम केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय लौह और इस्पात कंपनी लिमिटेड (इस्को) के शेयरों के अर्जन का उपबंध करता है । अधिनियम यह विनिर्दि-ट करता है कि नियत तारीख को इस कंपनी के सभी शेयर केंद्रीय सरकार को अंतरित हो जाएंगे । बाद में, इस्पात कंपनी (पुनर्संरचना) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1978 के अधीन, इस्को को भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) की पूर्णतः स्वामित्वाधीन समनु-गी बनाया गया । इस्को के शेयर 1978 अधिनियम के अधीन सेल को अंतरित किए गए थे । अधिनियम उपक्रम के कंपनी को अंतरण पर संदेय रकम, विद्यमान कर्मचारियों की सेवा के अंतरण, आदि जैसे उससे संबद्ध वि-नयों सहित इस्को के रा-ट्रीयकरण का उपबंध करता है । जहां तक संबद्ध एकक के रा-ट्रीयकरण का संबंध था इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अधिनियम में रा-ट्रीयकृत एकक के प्रबंधन का उपबंध नहीं है । अतः, यह अधिनियम रा-ट्रीयकृत एकक की बावत कोई सतत् प्रयोजन पूरा नहीं करता । पर्याप्त सतर्कता के रूप में, इन अधिनियमों को निरसित करने हेतु विचार करने की दृ-टि से सभी रा-ट्रीयकृत अधिनियमों का अध्ययन किया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो,

निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

13. वर्मा सेल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1976 का अधिनियम 2

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन के लिए विचार करें

इस अधिनियम में यह उपबंध है कि नियत तारीख को भारतीय वर्मा सेल उपक्रम के अधिकार, हक और हित केंद्रीय सरकार को अंतरित हो जाएंगे । इसके अतिरिक्त यह केंद्रीय सरकार को इन होल्डिंग को सरकारी कंपनी में अंतरित करने की शक्ति प्रदान करता है । उसी समय सरकार ने वर्मा सेल रिफाइनरी लिमिटेड को अर्जित किया और कंपनी की सभी आस्तियों को इस कंपनी में निहित किया जिसका नाम बाद में व-र्ा 1977 में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) रखा गया । अधिनियम उपक्रम के कंपनी को अंतरण पर संदेय रकम, विद्यमान कर्मचारियों की सेवा के अंतरण, आदि जैसे उससे संबद्ध वि-ायों सहित वर्मा सेल के रा-ट्रीयकरण का उपबंध करता है । जहां तक संबद्ध एकक के रा-ट्रीयकरण का संबंध था इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अधिनियम में रा-ट्रीयकृत एकक के प्रबंधन का उपबंध नहीं है । अतः, यह अधिनियम रा-ट्रीयकृत एकक की बावत कोई सतत् प्रयोजन पूरा नहीं करता । पर्याप्त सतर्कता के रूप में, इन अधिनियमों को निरसित करने हेतु विचार करने की दृ-टि से सभी रा-ट्रीयकृत अधिनियमों का अध्ययन किया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो, निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

14. ब्रेथवेट और कंपनी (भारत) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1976 का अधिनियम 96

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन के लिए विचार करें

इस अधिनियम ने ब्रेथवेट और कंपनी की सभी आस्तियों, अधिकारों, शक्तियों और संपत्तियों को केंद्रीय सरकार को अंतरित किया । इस समय, ब्रेथवेट भारत

भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की समनु-ंगी है और भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है । अधिनियम उपक्रम के कंपनी को अंतरण पर संदेय रकम, विद्यमान कर्मचारियों की सेवा के अंतरण, आदि जैसे उससे संबद्ध वि-नयों सहित ब्रेथेवट और कंपनी के रा-ट्रीयकरण का उपबंध करता है । जहां तक संबद्ध एकक के रा-ट्रीयकरण का संबंध था इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अधिनियम में रा-ट्रीयकृत एकक के प्रबंधन का उपबंध नहीं है । अतः, यह अधिनियम रा-ट्रीयकृत एकक की बावत कोई सतत् प्रयोजन पूरा नहीं करता । पर्याप्त सतर्कता के रूप में, इन अधिनियमों को निरसित करने हेतु विचार करने की दृ-टि से सभी रा-ट्रीयकृत अधिनियमों का अध्ययन किया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो, निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

15. बर्न कंपनी और भारतीय मानक वैगन कंपनी (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम, 1976 का अधिनियम 97

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन के लिए सिफारिश करें

अधिनियम में यह उपबंध है कि नियत तारीख को बर्न कंपनी और भारतीय मानक वैगन कंपनी के हक, अधिकार और हित सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर सरकार में निहित हो जाएंगे । अर्जन के पश्चात्, दो कंपनियां कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन आमेलित हो गई और उसे बर्न मानक कंपनी लिमिटेड केनाम से नामित किया गया । अधिनियम उपक्रम के कंपनी को अंतरण पर संदेय रकम, विद्यमान कर्मचारियों की सेवा के अंतरण, आदि जैसे उससे संबद्ध वि-नयों सहित इन कंपनियों के रा-ट्रीयकरण का उपबंध करता है । जहां तक संबद्ध एकक के रा-ट्रीयकरण का संबंध था इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अधिनियम में रा-ट्रीयकृत एकक के प्रबंधन का उपबंध नहीं है । अतः, यह अधिनियम रा-ट्रीयकृत एकक की बावत कोई सतत् प्रयोजन पूरा नहीं करता । पर्याप्त सतर्कता के रूप में, इन अधिनियमों को निरसित करने हेतु विचार करने की दृ-टि से सभी

रा-ट्रीयकृत अधिनियमों का अध्ययन किया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो, निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

16. संघ लेखा विभागीकरण (कार्मिक अंतरण) अधिनियम, 1976 का अधिनियम 59

प्रवर्ग : सरकारी कर्मचारी

सिफारिश : निरसन

अधिनियम केंद्रीय सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय में लेखाओं का संकलन करने से संबंधित उत्तरदायित्वों का दक्षतापूर्ण निर्वहन को सुकर बनाने के लिए भारतीय संपरीक्षा और लेखा विभाग (भारतीय संपरीक्षा और लेखा सेवा के माध्यम से चयनित) में कार्यरत अधिकारियों को इन कार्यालयों में स्थानान्तरित करने का उपबंध करता है । इस विधान ने भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) के सृजन की प्रक्रिया का भाग गठित किया । आईसीएएस कार्मिकों की भर्ती अब सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है । इस अधिनियम का अब उपयोग नहीं हो रहा है और इसका प्रयोजन पूरा हो चुका है । अतः, इस अधिनियम को अब निरसित किया जा सकता है ।

17. स्मिथ, स्टैनस्ट्रीट और कंपनी लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1977 का अधिनियम 41

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन के लिए सिफारिश करें

अधिनियम कंपनी की सभी आस्तियों, अधिकारों शक्तियों और संपत्तियों को केंद्रीय सरकार को अंतरित करता है और उन आस्तियों को सभी विल्लंगमों या बाध्यताओं से मुक्त घोनित करता है । अनेक वित्तीय हानियों के कारण केंद्रीय सरकार ने व-र्ा 2001 में कंपनी को बंद कर दिया । अधिनियम उपक्रम के कंपनी को अंतरण पर संदेय रकम, विद्यमान कर्मचारियों की सेवा के अंतरण, आदि जैसे उससे संबद्ध वि-नयों सहित स्मिथ, स्टैनस्ट्रीट और कंपनी के रा-ट्रीयकरण का

उपबंध करता है । जहां तक संबद्ध एकक के रा-ट्रीयकरण का संबंध था इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अधिनियम में रा-ट्रीयकृत एकक के प्रबंधन का उपबंध नहीं है । अतः, यह अधिनियम रा-ट्रीयकृत एकक की बावत कोई सतत् प्रयोजन पूरा नहीं करता । पर्याप्त सतर्कता के रूप में, इन अधिनियमों को निरसित करने हेतु विचार करने की दृ-टि से सभी रा-ट्रीयकृत अधिनियमों का अध्ययन किया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो, निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

18. कालटेक्स [कालटेक्ट आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड के शयरों तथा कालटेक्स (इंडिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जनट] अधिनियम, 1977 का अधिनियम 17

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन के लिए विचार करें

अधिनियम केंद्रीय सरकार द्वारा कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड (सीओआरआईएल) के भारतीय उपक्रमों के सभी अधिकारों, हकों और हितों के अर्जन का उपबंध करता है । इस अर्जन अधिनियम के द्वारा सी.ओ.आर. आई.एल. का व-र्ा 1977 में हिदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) में विलयन हो गया । अधिनियम उपक्रम के कंपनी को अंतरण पर संदेय रकम, विद्यमान कर्मचारियों की सेवा के अंतरण, आदि जैसे उससे संबद्ध वि-नयों सहित सी.ओ.आर.आई.एल. के रा-ट्रीयकरण का उपबंध करता है । जहां तक संबद्ध एकक के रा-ट्रीयकरण का संबंध था इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अधिनियम में रा-ट्रीयकृत एकक के प्रबंधन का उपबंध नहीं है । अतः, यह अधिनियम रा-ट्रीयकृत एकक की बावत कोई सतत् प्रयोजन पूरा नहीं करता । पर्याप्त सतर्कता के रूप में, इन अधिनियमों को निरसित करने हेतु विचार करने की दृ-टि से सभी रा-ट्रीयकृत अधिनियमों का अध्ययन किया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो, निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

19. विवादित निर्वाचन (प्रधानमंत्री और अध्यक्ष) अधिनियम, 1977 का अधिनियम 16

प्रवर्ग : परिसीमन और निर्वाचन

सिफारिश : निरसन

इस विधि में यह उपबंध है कि उच्च न्यायालय को किसी निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन अर्जी प्रस्तुत कर विवादित करने की साधारण प्रक्रिया वहां लागू नहीं होगी जहां निर्वाचित प्रतिनिधि प्रधानमंत्री या लोक सभा के अध्यक्ष हो जाते हैं । ऐसे मामलों में, यह अधिनियम लागू होगा और उनके निर्वाचनों को प्रश्नगत करने वाली निर्वाचन अर्जियों की सुनवाई इस अधिनियम के अधीन पृथक् प्राधिकरण के रूप में गठित उच्चतम न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा की जाएगी । प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा । संविधान में अनुच्छेद 329क अंतःस्थापित किया गया जिसने ऐसा विभेद किए जाने की अनुज्ञा दी । संशोधन और इस विधि दोनों का सृजन आपात् उद्घो-णा के जारी रहने के समय हुआ था । अनुच्छेद 329क को बाद में व-र्ा 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया । अनुच्छेद 329क के बिना यह विधि असंवैधानिक है, चूंकि संविधान विभिन्न प्रकार के निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्वाचन विवादों के बीच अंतर किए जाने की अनुज्ञा नहीं देता । अतः, इस अधिनियम की संवैधानिकता संदेहास्पद है, इस अधिनियम को निरसित किया जाना चाहिए ।

20. ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (मोकामा यूनिट) तथा आर्थर बटलर एंड कंपनी (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन अंतरण) अधिनियम, 1978 अधिनियम का 41

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन के लिए विचार करें

अधिनियम ने रा-ट्रीयकरण और बाद में दो पूर्व कंपनियों अर्थात् मुजफ्फरपुर में स्थित आर्थर बटलर एंड कंपनी और मोकामा में स्थित ब्रिटानिया इंजीनियरिंग वर्क्स

(दोनों स्थान बिहार में है) हेतु सक्षम बनाया । दोनों कंपनियों को भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) बनाने के लिए समामेलित किया गया जो भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की शत-प्रतिशत समनु-गी हैं । अधिनियम उपक्रम के कंपनी को अंतरण पर संदेय रकम, विद्यमान कर्मचारियों की सेवा के अंतरण, आदि जैसे उससे संबद्ध वि-नयों सहित इन कंपनियों के रा-ट्रीयकरण का उपबंध करता है । जहां तक संबद्ध एकक के रा-ट्रीयकरण का संबंध था इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अधिनियम में रा-ट्रीयकृत एकक के प्रबंधन का उपबंध नहीं है । अतः, यह अधिनियम रा-ट्रीयकृत एकक की बावत कोई सतत् प्रयोजन पूरा नहीं करता । पर्याप्त सतर्कता के रूप में, इन अधिनियमों को निरसित करने हेतु विचार करने की दृ-टि से सभी रा-ट्रीयकृत अधिनियमों का अध्ययन किया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो, निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

21. हिंदुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1978 का अधिनियम 13

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन के लिए विचार करें

अधिनियम हिंदुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण का उपबंध करता है । व-र्ा 1999 में, महिन्द्रा और महिन्द्रा ग्रुप ने हिंदुस्तान टैक्टर लिमिटेड का 60% अर्जित किया और व-र्ा 2001 तक शे-ा कंपनी को भी खरीद लिया । तब इसका पुनः महिन्द्रा गुजरात ट्रैक्टर लिमिटेड नाम रखा और अब इसका नाम महिन्द्रा और महिन्द्रा इंटरप्राइज है । अधिनियम उपक्रम के कंपनी को अंतरण पर संदेय रकम, विद्यमान कर्मचारियों की सेवा के अंतरण, आदि जैसे उससे संबद्ध वि-नयों सहित हिंदुस्तान ट्रैक्टर के रा-ट्रीयकरण का उपबंध करता है । जहां तक संबद्ध एकक के रा-ट्रीयकरण का संबंध था इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अधिनियम में रा-ट्रीयकृत एकक के प्रबंधन का उपबंध नहीं है । अतः, यह अधिनियम रा-ट्रीयकृत एकक की बावत कोई सतत् प्रयोजन पूरा नहीं करता ।

पर्याप्त सतर्कता के रूप में, इन अधिनियमों को निरसित करने हेतु विचार करने की दृ-िट से सभी रा-ट्रीयकृत अधिनियमों का अध्ययन किया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो, निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

22. कोसन गैस कंपनी (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1979 का अधिनियम 28

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन के लिए विचार करें

अधिनियम केंद्रीय सरकार द्वारा कोसन गैस कंपनी के उपक्रमों के अर्जन को समर्थ बनाता है । व-र्ा 1979 में कोसन गैस कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के साथ विलीन हो गई । जहां तक संबद्ध एकक के रा-ट्रीयकरण का संबंध था इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अधिनियम में रा-ट्रीयकृत एकक के प्रबंधन का उपबंध नहीं है । अतः, यह अधिनियम रा-ट्रीयकृत एकक की बावत कोई सतत् प्रयोजन पूरा नहीं करता । पर्याप्त सतर्कता के रूप में, इन अधिनियमों को निरसित करने हेतु विचार करने की दृ-िट से सभी रा-ट्रीयकृत अधिनियमों का अध्ययन किया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो, निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

23. जूट कंपनी (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 का अधिनियम 62

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन के लिए विचार करें

इस अधिनियम को छह जूट कंपनी अर्थात् नेशनल कंपनी लिमिटेड, एलेक्जैंडा जूट मिल लिमिटेड, यूनियन जूट कंपनी लिमिटेड, खदोह कंपनी लिमिटेड, किन्नीसन जूट मिल कंपनी लिमिटेड और आर.बी.एच.एम. जूअ मिल प्राइवेट लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण के लिए पारित किया गया था । इन कंपनियों की आस्तियां जून, 1980 से नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर कारपोरेशन लिमिटेड (एन.जे.एम.सी.) में निहित हो गईं । जहां तक संबद्ध एकक के रा-ट्रीयकरण का

संबंध था इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अधिनियम में रा-ट्रीयकृत एकक के प्रबंधन का उपबंध नहीं है । अतः, यह अधिनियम रा-ट्रीयकृत एकक की बावत कोई सतत् प्रयोजन पूरा नहीं करता । पर्याप्त सतर्कता के रूप में, इन अधिनियमों को निरसित करने हेतु विचार करने की दृ-टि से सभी रा-ट्रीयकृत अधिनियमों का अध्ययन किया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो, निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

24. अमृतसर आयल वर्क्स (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1982 का अधिनियम 50

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन के लिए विचार करें

अधिनियम अमृतसर आयल वर्क्स के पूर्ण रा-ट्रीयकरण को समर्थ बनाता है। रा-ट्रीयकरण होने पर, अमृतसर आयल वर्क्स का एचबीओसी द्वारा अधिग्रहण किया गया । एचबीओसी घोर वित्तीय हानियों से ग्रस्त थी और व-र्ा 1999 में बी. आई. एफ. आर. द्वारा रुग्ण घोन्ति की गई । जहां तक संबद्ध एकक के रा-ट्रीयकरण का संबंध था इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अधिनियम में रा-ट्रीयकृत एकक के प्रबंधन का उपबंध नहीं है । अतः, यह अधिनियम रा-ट्रीयकृत एकक की बावत कोई सतत् प्रयोजन पूरा नहीं करता । पर्याप्त सतर्कता के रूप में, इन अधिनियमों को निरसित करने हेतु विचार करने की दृ-टि से सभी रा-ट्रीयकृत अधिनियमों का अध्ययन किया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो, निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

25. अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 का अधिनियम 39

प्रवर्ग : नागरिकता ; भारत में प्रवेश ; भारत को आप्रवास और भारत से नि-कासन ; और सीमा-पार अभियान

सिफारिश : निरसन

अधिनियम यह अवधारित करने की प्रक्रिया संस्थित करता है कि क्या बंगलादेश से अवैध आप्रवासी होने वाला संदेहास्पद व्यक्ति वस्तुतः उस प्रवर्ग के भीतर आता है और उसे भारत से नि-कासित किया जाए । यह केवल असम राज्य को लागू था (अन्य राज्यों से विदेशियों की खोज विदेशी अधिनियम, 1946 के अधीन की जाती है) । अधिनियम यह अवधारित करने के लिए अधिकरणों की स्थापना करता है कि क्या व्यक्ति अवैध प्रवासी है । **सरवनंदा सोनोवाल** बनाम **भारत संघ** [(2005) 5 एस.सी.सी. 665] वाले मामले में अधिनियम और नियम को अभिखंडित करते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया कि अधिनियम के अधीन कार्यरत अधिकरण अपना कार्य नहीं करेंगे और घोनित किया कि विदेशी अधिनियम और अन्य संबंधित अधिनियम इसके बजाए असम में लागू होंगे । चूंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिनियम को अभिखंडित कर दिया गया है और यह अधिनियम उपयोग में नहीं है, अतः, इसे निरसित किया जाना चाहिए ।

26. चंडीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, 1983 का अधिनियम 33

प्रवर्ग : आपराधिक न्याय

सिफारिश : निरसन

अधिनियम चंडीगढ़ के विक्षुब्ध क्षेत्रों में अव्यवस्था को दबाने और लोक व्यवस्था के पुनःस्थापन और बनाए रखने के लिए बेहतर उपबंध करता है । वर्-ा 2012 में, **सुरिन्दर भारद्वाज** बनाम **चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र और एक अन्य** [(2013) 169 पी.एल.आर. 111] वाले मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ शहर के संबंध में "विक्षुब्ध क्षेत्र" की ख्याति को हटा दिया और पंजाब में आतंकवाद के दिनों के दौरान 1983 में जारी अधिसूचना के क्रियान्वयन को समाप्त कर दिया । अधिनियम अब कोई प्रयोजन पूरा नहीं करता । अतः, इसे निरसित किया जाना चाहिए ।

27. इनचैक टायर्स लिमिटेड एंड नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम, 1984 का अधिनियम 17

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन के लिए विचार करें

इस अधिनियम का अधिनियमन इनचैक टायर्स लिमिटेड एंड नेशनल रबर्स मैन्युफैक्चर्स लिमिटेड का रा-ट्रीयकरण करने के लिए किया गया था । रा-ट्रीयकरण की प्रक्रिया व-र्ं 1984 में पूरी की गई थी और कंपनी की आस्तियां भारतीय टायर कारपोरेशन लिमिटेउ (टीसीआईएल) में निहित की गई । जहां तक संबद्ध एकक के रा-ट्रीयकरण का संबंध था इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अधिनियम में रा-ट्रीयकृत एकक के प्रबंधन का उपबंध नहीं है । अतः, यह अधिनियम रा-ट्रीयकृत एकक की बावत कोई सतत् प्रयोजन पूरा नहीं करता । पर्याप्त सतर्कता के रूप में, इन अधिनियमों को निरसित करने हेतु विचार करने की दृ-टि से सभी रा-ट्रीयकृत अधिनियमों का अध्ययन किया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो, निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

28. हुगली डाकिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1984 का अधिनियम 55

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन के लिए विचार करें

अधिनियम केंद्रीय सरकार के साथ हुगली डाकिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण का उपबंध करता है । जहां तक संबद्ध एकक के रा-ट्रीयकरण का संबंध था इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अधिनियम में रा-ट्रीयकृत एकक के प्रबंधन का उपबंध नहीं है । अतः, यह अधिनियम रा-ट्रीयकृत एकक की बावत कोई सतत् प्रयोजन पूरा नहीं करता । पर्याप्त सतर्कता के रूप में, इन अधिनियमों को निरसित करने हेतु विचार करने की दृ-टि से सभी रा-ट्रीयकृत अधिनियमों का अध्ययन किया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो, निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

29. फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेल लाइन (रा-ट्रीयकरण) अधिनियम, 1985 का अधिनियम 83

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन

यह अधिनियम फतुहा-इस्लामपुर रेल कंपनी के स्वामित्वाधीन बिहार में दो फिट छह इंच पतली गेज रेल लाइन वाली फतुहा-इस्लामपुर हल्की रेल लाइन के अर्जन का उपबंध करता है । अधिनियम फतुहा इस्लामपुर हल्की रेल लाइन के अर्जन का उपबंध करता है क्योंकि इसे खतरनाक और गैर-किफायती पाया गया और फतुहा इस्लामपुर रेल कंपनी लाइन का प्रबंध करने की स्थिति में नहीं थी । भारतीय रेल द्वारा रेल लाइन को अर्जित किया गया और व-र्ा 1987 में बंद कर दिया गया । जहां तक रेल लाइन के रा-ट्रीयकरण का संबंध है, इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है और इस अधिनियम को निरसित किया जा सकता है । यदि आवश्यक हो, निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

30. स्वदेशी काटन मिल कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1986 का अधिनियम 30

प्रवर्ग : रा-ट्रीयकरण

सिफारिश : निरसन के लिए विचार करें

अधिनियम ने स्वदेशी काटन मिल कंपनी लिमिटेड के उपक्रमों के कतिपय कपड़ों के अर्जन और अंतरण को समर्थ बनाया । स्वदेशी काटन मिल के प्रबंध का अधिग्रहण केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया और नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (एनटीसी) को मिल के कार्यों के प्रबंध के लिए नियुक्त किया गया । जहां तक संबद्ध एकक के रा-ट्रीयकरण का संबंध था इस अधिनियम का प्रयोजन पूरा हो चुका है । अधिनियम में रा-ट्रीयकृत एकक के प्रबंधन का उपबंध नहीं है । अतः, यह अधिनियम रा-ट्रीयकृत एकक की बावत कोई सतत् प्रयोजन पूरा नहीं करता ।

पर्याप्त सतर्कता के रूप में, इन अधिनियमों को निरसित करने हेतु विचार करने की दृ‍टि से सभी रा‍ट्रीयकृत अधिनियमों का अध्ययन किया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो, निरसनकारी अधिनियम में उपयुक्त व्यावृत्ति खंड अंतःस्थापित किया जाए ।

ह0/-
(न्यायमूर्ति ए. पी. शहा)
अध्यक्ष

ह0/-
(न्यायमूर्ति एस. एन. कपूर)
सदस्य

ह0/-
(प्रो. (डा.) मूलचंद शर्मा)
सदस्य

ह0/-
(न्यायमूर्ति ऊना मेहरा)
सदस्य

ह0/-
(डा. एस. एस. चाहर)
सदस्य-सचिव

ह0/-
(पी. के. मल्होत्रा)
पदेन-सदस्य

ह0/-
(डा. संजय सिंह)
पदेन सदस्य